दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग– III में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 7 मार्च 2018

सं.एफ.17(85)/डीईआरसी/इंजि./2017–18/5855/2807 - दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018, एनसीटीडी नं. 447 दिनांकित 16–02–2018 को दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग– III, द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. इस विनियम में विसंगतियां पाई गई हैं जिन्हें निम्नलिखित शुद्धिपत्र के द्वारा सुधार करने की आवश्यकता है:

पृष्ठ 1 **पहला अनुच्छेद में : सं.एफ.17(85)/डीईआरसी/इंजि./2017–18/5855/2661–** दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के क्रियान्वयन में अधिक स्पष्टता और सुगमता लाने के लिए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और पिछले प्रकाशन के बाद एवं उसके निमित्त सक्षम करने की अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2018 (इसके बाद ''प्रमुख विनियम'' कहा जाएगा) के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया जाता है:

को पढ़ा जाये : सं. एफ.17 (85)/डीईआरसी/इंजि./2017–18/5855/2661– दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के क्रियान्वयन में अधिक स्पष्टता और सुगमता लाने के लिए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

(आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और पिछले प्रकाशन के बाद एवं उसके निमित्त सक्षम करने की अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 (इसके बाद ''प्रमुख विनियम'' कहा जाएगा) के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया जाता है:

3 यह शुद्धिपत्र आयोग के अनुमोदन पर जारी किया गया है।

सुरेंद्रा इडुपघंटी
सचिव